(१)

न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, मथुरा

27.08.2019

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामान्य परिपत्र एवं विशेष परिपत्र एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अनुसरण में आगामी सितम्बर माह में भगवान श्री गिर्राज जी महाराज के दर्शन एवं परिक्रमा हेतु आने वाले भारत एवं विश्व के अन्य देशों के लाखों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा कारित न हो इस कारण निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है –

आदेश

भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक 31.08.2019 को समय 12.00 बजे दिन शनिवार एवं उक्त मन्दिर की शाखा भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोर्वधन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक 31.08.2019 को समय 03.00 बजे दिन शनिवार इस न्यायालय में कराया जाना है। इच्छुक ठेकेदार समय पर पहुंच कर नीलामी की बोली में भाग लें। समय के उपरांत आने पर बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त दोनों ठेकों की भेंट की अवधि दिनांक 31.08.2019 की मध्य रात्रि से दिनांक 30.09.2019 की मध्य रात्रि तक रहेगी। उक्त दोनां ही मन्दिरों के भेंट ठेके की प्रमुख नियम व शर्ते निम्नलिखित हैं –

1– भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका दिनांक 26.06.2019 को न्यूनतम बोली मु0 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) से प्रारम्भ की गयी थी। चूँकि विगत माह अगस्त 2019 में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का तिथि व पर्व का विश्व प्रसिद्ध आयोजन भी उक्त माह अगस्त माह में था जिस कारण उक्त अगस्त 2019 माह की न्यूनतम बोली मु0 60,00,000/– (साठ लाख रूपये) से प्रारम्भ की गयी थी। चूँकि इस माह कोई पर्व या प्रसिद्ध आयोजन नहीं है अतः माह सितम्बर 2019 के लिए न्यूनतम बोली मु0 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) से प्रारम्भ की जायेगी।

2– भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोर्वधन मथुरा का भेंट ठेका माह जून में सिविल न्यायालय में सिविल कार्य न होने के कारण पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2019 को आदेश पारित करते हुये उपजिलाधिकारी, गोवर्धन मथुरा को ठेका उठाये जाने हेतु आदेशित किया गया था। वर्तमान में चूँकि अगस्त माह में दीवानी कार्य सम्पादित किया जा रहा है अतः भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोर्वधन मथुरा का माह सितम्बर 2019 का भेंट ठेका न्यूनतम बोली मु0 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) से प्रारम्भ की जायेगी।

3– दोनों ठेकों की बोली में प्रत्येक ठेकेदार आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति तथा चैकबुक साथ ले कर आयेगें यहां चैक की संख्या इस कारण नहीं लिखी गयी है क्योंकि अगर गलत प्रविष्टि ठेकेदार द्वारा कर दी गयी तब नवीन चैक प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी।

4– उक्त दोनों ही ठेकों का कार्यभार गृहण करने से पूर्व जो धनराशि निर्धारित की जायेगी प्रत्येक का पचास प्रतिशत दिनांक 31.08.2019 तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा तथा शेष पचास प्रतिशत दिनांक 15.09.2019 तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा।

4– उक्त दोनों ही ठेकों के दोनों ही चैक अविलम्ब जमा करने होगें प्रथम चैक जो आधी धनराशि का होगा उसको दिनांक 31.08.2019 तक सम्बन्धित बैंक से Clear कराना अनिवार्य होगा। द्वितीय चैक जो शेष धनराशि का होगा उसको दिनांक 15.09.2019 तक सम्बन्धित बैंक से Clear करना अनिवार्य होगा।

5– जो भी ठेकेदार उक्त दोनों ही ठेकों की नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होगें उनको पांच लाख रूपये की धनराशि बतौर जमानत बोली लगने से पूर्व जमा करनी होगी।

6– अन्तिम बोली पश्चात् जिसको ठेकेदार को चार्ज दिया जाना है उसको मु0 01,00,000/– (एक लाख रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा।

7– बोली इस प्रकार लगायी जायेगी भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी

गोवर्धन मथुरा के भेंट ठेका हेतु मु0 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) से ऊपर बोली का प्रारम्भ किया जायेगा जैसे ही कोई आवेदक उक्त बोली की धनराशि को चुनौती देगा तब नवीन धनराशि की बोली लगायी जायेगी। अन्त में जो अधिकतम धनराशि बोलेगा उसको प्रस्तावित रूप से ठेकेदार का चार्ज दिया जायेगा।

8– बोली इस प्रकार लगायी जायेगी भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोर्वधन मथुरा के भेंट ठेका हेतु मु0 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) से ऊपर बोली का प्रारम्भ किया जायेगा जैसे ही कोई आवेदक उक्त बोली की धनराशि को चुनौती देगा तब नवीन धनराशि की बोली लगायी जायेगी। अन्त में जो अधिकतम धनराशि बोलेगा उसको प्रस्तावित रूप से ठेकेदार का चार्ज दिया जायेगा।

9– पूर्व में कुछ ठेकेदार बोली लगाते समय विचार–विमर्श करने के आधार पर न्यायालय कक्ष छोड़ कर चले आते थे, ये पर परम्परा सर्वदा अनुचित है एवं नियम का उल्लंघन है, जब तक विजेता की घोषणा नहीं हो जाएगी कोई ठेकेदार न्यायालय से लिखित अनुमति के बगैर न्यायालय कक्ष नहीं छोड़ेगा क्योंकि प्रक्रिया चार बजे दिन शुरू होगी तथा उसी दिन पांच बजे तक सम्पूर्ण कर ली जायेगी। ठेकेदार के बार–बार न्यायालय कक्ष छोड़ने से पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं कुछ व्यक्तियों को अनावश्यक टीका–टिप्पणी करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः जो भी विचार–विमर्श करना है वह न्यायालय कक्ष में ही किया जाएगा क्योंकि Auction का सिद्धान्त है कि जिसने प्रकिया के दौरान कक्ष छोड़ा उसको उसी आधार पर Disqualify माना जाता है। इसलिए सभी ठेकेदार उपरोक्त नियम का पालन करें।

10– किसी भी अन्तिम बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस न्यायालय को होगा।

उपरोक्त शर्तो के अधीन सभी सम्बन्धित को यह सूचित किया जाता है कि भगवान श्री गिर्राज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट ठेका की कार्यवाही दिनांक 31.08.2019 को 12.00 बजे से एवं भगवान श्री लक्ष्मीनरायन मन्दिर स्थित दानघाटी गोर्वधन मथुरा के भेंट ठेका की कार्यवाही दिनांक 31.08.2019 को 03.00 बजे से निष्पादित की जायेगी। नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय मथुरा समुचित व्यवस्था करने का प्रबन्ध करे। जिनको सूचना प्रेषित की गयी उनका विवरण निम्नांकित है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

सिविल जज ... न्यायालय ... मथुरा

दिनांक 27.08.2019

Sd/-

प्रभारी सिविल जज, सीनियर डिवीजन,
मथुरा

प्रतिलिपि –

1– न्यायालय के वेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
2– सूचना अधिकारी मथुरा को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3– नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय परिसर, मथुरा।
4– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मथुरा।
5– नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, मथुरा।
6– नोटिस बोर्ड तहसील गोवर्धन, मथुरा।
7– नोटिस बोर्ड होलीगेट, मथुरा।
8– नोटिस बोर्ड नगर निगम, मथुरा।
9– नोटिस बोर्ड जिला न्यायाधीश कार्यालय मथुरा।
10– दैनिक राजपथ मथुरा को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
11– बृज उपहार को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
12– बृजगरिमा को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13– दैनिक छोटी सी बात समाचार पत्र को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
14– नियो चैनल मथुरा को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।
15– नोटिस बोर्ड मन्दिर दानघाटी, मथुरा।
16– नजारत अनुभाग जिला न्यायालय, मथुरा।

आदेश की प्रति नियो चैनल मथुरा को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। B.O.